राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लाट नं. 6, एवरेस्ट कॉलोनी, एपेक्स मॉल के पास, लाल कोठी, जयपुर।
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804, 2988946

प्रथम स्मरण–पत्र।
अति–आवश्यक।
द्वारा–ई–मेल।

क्रमांक:पैरामेडि.कौं / संस्था. / 2020 / 695 दिनांक: 30/4/2020

प्रधानाचार्य,
समस्त सम्बद्ध पैरामेडिकल महाविद्यालय / संस्थान,
राजस्थान।

विषयः– कोरोना वायरस (COVID-19) के कारण अभ्यर्थियों को ऑन–लाईन अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने बाबत्।

संदर्भः– कौंसिल कार्यालय पत्र क्रमांक पैरामेडि.कौं / संस्था. / 2020 / 662 दिनांक 16.04.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल से सम्बद्ध समस्त पैरामेडिकल महाविद्यालयों / संस्थानों से अपेक्षा की गई थी कि वे अपने यहाँ अध्ययनरत छात्र / छात्राओं के व्यापक हित को देखते हुए डिप्लोमा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के सैद्धान्तिक विषयों का ऑन–लाईन अध्यापन एवं आवश्यक टेस्ट की प्रक्रिया प्रारम्भ कर कौंसिल को द्वारा ई–मेल आवश्यक रूप से सूचित करेगें। अत्यन्त खेद का विषय है कि कतिपय महाविद्यालयों / संस्थानों के अतिरिक्त अधिकांश महाविद्यालय / संस्थानों द्वारा कोई सूचना प्रेषित नही की गई है। इससे प्रतीत होता है कि आप द्वारा नियमित रूप से कौंसिल से प्रेषित ई–मेल नहीं देखे जाते हैं। यह भी विदित होता है कि आप छात्र / छात्राओं के परीक्षा परिणामों के प्रति गंभीरता नहीं बरत रहे हैं। लॉक–डाऊन पश्चात् शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन–अध्यापन कार्य की अनुमति प्रदान किये जाने पर शीघ्र ही मुख्य, रिमाण्डेड / पूरक एवं प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन भी प्रारम्भ किया जायेगा।

आपका कर्तव्य एवं नैतिक दायित्व भी है कि शैक्षणिक सत्र के दिवसों में लॉक–डाऊन अवधि की क्षतिपूर्ति ऑन–लाईन अध्यापन द्वारा पूरी की जायें। अतः 03 दिवसों में उपरोक्त के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से कौंसिल को द्वारा ई–मेल अवगत करावें।

30/4/2020
रजिस्ट्रार

क्रमांक:पैरामेडि.कौं / संस्था. / 2020 / 695 दिनांक: 30/4/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अध्यक्ष, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
4. निजी सचिव, रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
5. उप परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

30/4/2020
रजिस्ट्रार